सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड–492002

क्रमांक एफ 11–1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर, (छ.ग.)

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्यवाई करने बाबत् ।

---000---

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की **कंडिका–5.07**–छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारियों द्वारा अधूरी एवं भ्रामक जानकारी देने तथा जानकारी नहीं देने पर प्रस्तुत की जाने वाले प्रथम अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाई में सुधार की आवश्यकता है ।

2/– अतः अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक प्राधिकरणों में पदनामित लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदकों को सही एवं समुचित जानकारी प्रदाय की जाये जिससे कि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा न हो । इसी प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि अपील प्रकरणों की सुनवाई करते समय स्पष्ट रूप से विनिश्चय कर स्पीकिंग आर्डर जारी करें ताकि अपीलार्थी आपके निर्णय से पूर्णतः आश्वस्त हो सकें ।

(कमर अली)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 11–1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,

प्रतिलिपिः–

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार, रोड शंकर नगर, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 336/स्था./छगरासूआ/13, दिनांक 28.2.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग